संख्या-56/2023/3448/77-6-2023-2(एम)/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक,
स्टाम्प एवं निबन्धन, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2023**

विषय:-"उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022" के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में छुट लेने की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-19/2023/1303 /77-6-2023-2(एम)/2022 टीसी, दिनांक 10.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में एतदद्वारा निम्नवत संशोधन किया जा रहा है:-

वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तावित इकाई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों से आच्छादित है और वह उक्त नीति के अध्याय-12 के प्रस्तर-12.2 में प्राविधानित स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए अर्ह है, इस आशय का प्रमाण-प्रत्र औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट/प्रस्तावक अपना आवेदन ऑनलाईन निवेश मित्र पोर्टल पर अथवा भैतिक रूप (पोर्टल कार्यरत न होने/ रहने की दशा में) से औद्योगिक विकास विभाग को देगा। स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए अर्हता विषयक प्रमाण-पत्र प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से एवं यदि प्रस्तावित इकाई किसी इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी के क्षेत्र में स्थापित होना है तो अथॉरिटी से प्राप्त	प्रस्तावित इकाई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों से आच्छादित है और वह उक्त नीति के अध्याय-12 के प्रस्तर-12.2 में प्राविधानित स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए अर्ह है, इस आशय का "पात्रता प्रमाण-पत्र"(Elegibilty Certificate) इन्वेस्ट यू0पी0 से प्राप्त किया जाएगा। स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट/प्रस्तावक अपना आवेदन ऑनलाईन निवेश मित्र पोर्टल पर अथवा भौतिक रूप (पोर्टल कार्यरत न होने/रहने की दशा में) से इन्वेस्ट यू0पी0 को देगा। इसके उपरान्त स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए एवं "अर्हता प्रमाण-पत्र" (Admissibility Certificate) प्राप्त किया जाना होगा, जो कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र से एवं यदि प्रस्तावित इकाई किसी इण्डस्टियल अथॉरिटी के क्षेत्र में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जा सकता है।	स्थापित होना है तो अथॉरिटी से प्राप्त किया जा सकता है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 10.04.2023 के अवशेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या-56/2023/3448(1)/77-6-2023-2(एम)/2022,तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सहायक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उपायुक्त, स्टाम्प/उप महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त उपायुक्त,जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।